



5



## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/पन्ना/2018/

नगरानी-2667/2018/पन्ना/भू.र.

रमेश प्रजापति पुत्र श्री रज्जू कुम्हार,  
आयु 50 वर्ष, निवासी ग्राम जनकपुर,  
तहसील व जिला पन्ना (म0प्र0)

— आवेदक

श्री. सुनील सिंह यादव  
द्वारा आज कि. 2-5-18  
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु  
दिनांक 15-5-18 नियत।

बनाम

फ्लैक ऑफ कोर्ट 2-5-18  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मध्य प्रदेश शासन द्वारा — कलेक्टर  
पन्ना (म0प्र0)

— अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व  
संहिता पारित न्यायालय आयुक्त महोदय, सागर संभाग, सागर  
के अपील प्रकरण क्रमांक 741/2017-18 में पारित आदेश  
दिनांक 16.04.2018 के विरुद्ध निगरानी।

2/5/18

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निवेदन निम्न प्रस्तुत है:-

- यहकि, आवेदक द्वारा भूमि आराजी ग्राम जनकपुर, सर्वे नम्बर 64/7 रकवा 1.000 हैक्टेयर पटवारी हल्का नम्बर 23 तहसील व जिला पन्ना के भूमि को विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर महोदय, पन्ना के समक्ष प्रस्तुत किया। कलेक्टर महोदय, पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/अ-21/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2018 से आवेदन पत्र निरस्त किया, जिस आदेश से दुखित होकर अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 741/2017-18 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 16.04.2018 से निरस्त हुयी।

ग्वालियर  
2/5/18

3


- यहकि, आवेदक का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महज


XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी/2667/2018/पन्ना/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/6/18	<p>• प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक अपील 741/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 16-4-18 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया। यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति के संबंध में है। इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा आवेदक के पिता स्व0 रज्जू कुम्हार को दिनांक 10-2-1975 को दिया गया। रज्जू कुम्हार की मृत्यु के उपरांत आवेदक का नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 20-8-02 को वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार, पन्ना के आदेश दिनांक 20-8-02 द्वारा किया गया है। संहिता की धारा 158(3) के प्रावधानों के अनुसार पट्टे या आवंटन की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर अंतरित न किये जाने का प्रावधान है जबकि आवेदक द्वारा 45 वर्ष से अधिक समय उपरांत भूमि विक्रय का आवेदन दिया गया है। जिसे कलेक्टर द्वारा निरस्त किया गया है और कलेक्टर के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त आदेश दिनांक 19-2-18 द्वारा की है ने की है। प्रकरण को देखने से यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में यह स्पष्ट उल्लेख किया है आवेदक आवेदित भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर भूमि क्रय करना चाहता है। अभिलिख में आवेदक द्वारा क्रय एवं विक्रय किए जाने वाली भूमि के अनुबंध पत्र संलग्न हैं जिनमें आवेदक द्वारा क्रय किए जाने</p>	



स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>वाली भूमि 4.000 हैक्टर है जबकि विक्रय की जा रही भूमि का रकबा 1.000 है । इस प्रकार क्रय की जा रही भूमि विक्रय की जाने वाली भूमि से काफी अधिक है । इस प्रकार आवेदक के पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं आयेगी और कहीं अधिक भूमि उसके पास हो जायेगी और आवेदक भूमिहीन नहीं होगा । तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि उक्त संव्यवहार मिथ्या, बनावटी या बेनामी नहीं है तथा आवेदक जो भूमि क्रय कर रहा है वह उसके लिए लाभप्रद है । अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जानेमें कोई वैधानिक अड़चन नहीं है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्कों के दौरान यह निवेदन किया गया है कि वे अब प्रश्नाधीन भूमि के सम्पूर्ण रकबे का विक्रय न करते हुए केवल 0.600 हैक्टर भूमि का विक्रय करना चाहते हैं । अतः आवेदक का उक्त अनुरोध स्वीकार करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए जाते हैं तथा आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम जनकपुर प0ह0नं0 23 तहसील व जिला पन्ना स्थित भूमि खसरा नं0 64/7 रकबा 1.000 हैक्टर में से केवल 0.600 हैक्टर भूमि के विक्रय करने की अनुमति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा विक्रयपत्र के निष्पादन के समय प्रचलित कलेक्टर गाइड लाइन एवं बाजार मूल्य जो भी अधिक हो की दर से भूमि का मूल्य आवेदक को अदा किया जायेगा । उप पंजीयक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि क्रेता द्वारा विक्रय करें कि क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि बैंकर चेक/बैंक ड्राफ्ट/नेट बैंकिंग से आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।</p> <p>परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है । पक्षकार सूचित हों ।</p>	<p style="text-align: center;">               ( एम. गोपाल रेड्डी )              प्रशासकीय सदस्य         </p>